गृह मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की पीठ को लद्दाख में कार्यरत करने के सैद्धांतिक निर्णय का स्वागत किया

उच्च न्यायालय की पीठ से लद्दाख के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की न्याय तक पहुंच सुगम होगी

सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है

प्रविष्टि तिथि: 20 AUG 2026 7:40PM by PIB Delhi

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की पीठ को लद्दाख में भी कार्यरत करने के सैद्धांतिक निर्णय का स्वागत किया है।

X पर एक पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की पीठ को लद्दाख में भी कार्यरत करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। इससे लद्दाख के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनके अधिकार के तहत उपलब्ध कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम होगा और न्याय तक उनकी पहुंच सुगम होगी। सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

> The Union Cabinet, under the leadership of the PM Shri @narendramodi Ji, has decided to set up a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. This will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required…
>
> — Amit Shah (@AmitShah) August 20, 2026

***

RK/PR/PS/SC

(रिलीज़ आईडी: 2301699) आगंतुक पटल : 315
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Assamese , Punjabi , Gujarati , Tamil , Telugu , Malayalam